पासपोर्ट की तरह डाक से घर पहुंचने लगा डीएल

जागरण संवाददाता, पटना : पासपोर्ट की तर्ज पर अब डाक से ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को घर पर मिलने लगा है। अबतक 16954 ड्राइविंग लाइसेंस तथा 37015 गाड़ियों की ओनर बुक डिस्पैच कर दी गई है। इस कारण जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में लगने वाली भीड़ कम हो गई है। काउंटरों पर लंबी-लंबी कतारें नहीं लग रही हैं। नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू है।

गलत पते पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी कम हो गया है। हालांकि पांच फीसद ड्राइविंग लाइसेंस वापस आ रहे हैं। इसका कारण गलत पता देना है। ऐसी स्थिति में जिला परिवहन कार्यालय मोबाइल से संपर्क कर जानकारी भी दे रहा है। मोबाइल नंबर नहीं रहने पर स्टॉक में जमा कर दिया जा रहा है। अब सही पता देने के अलावा कोई चारा नहीं है। डाकिया घर-घर जाकर लाइसेंस पहुंचा देता है। लाइसेंस वापस होने के बाद डीटीओ कार्यालय में प्रमाण का साक्ष्य दिखाए जाने के बाद इसे दोबारा डिस्पैच किया जा रहा है। कई लोग लाइसेंस वापस होने के बाद पते में बदलाव करा रहे हैं।

> ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में सही पता दें। अगर सही नहीं है तो सुधार करा लें। अब पासपोर्ट की तर्ज पर डाक विभाग घर-घर लाइसेंस भेज रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है।
>
> - अजय कुमार ठाकुर, डीटीओ, पटना

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन देना है। शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना है। अगर आपसे जमा नहीं हो रहा है तो साइबर कैफे या वसुधा केंद्र का भी सहारा ले सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने और शुल्क स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में आवेदन डाउनलोड करके आप डीटीओ कार्यालय में आकर शुल्क जमा कर सकते हैं। पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। दो और चार पहिया गाड़ी के लर्निंग लाइसेंस के लिए 790 रुपये देने होंगे। 30 दिन के बाद आप मूल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे। इसके लिए 2250 रुपये शुल्क लगेगा।